तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **कृष्ण कुमार यादव बनाम लोक सूचना अधिकारी** **अपील संख्या 2022/727**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.01.23	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर) के पत्रांक एफ. 19(1)()प्रकोष्ठ/संआज/2022/1 दिनांक 04.01.2023 प्राप्त जिसमें अंकित किया है कि अपीलार्थी का शिकायती पत्र दिनांक 19.09.2022 से 06.10.2022 तक कार्यालय में प्राप्त नही हुआ इसलिये अपीलार्थी के शिकायत पत्र दिनांक 19.09.2022 कार्यालय में प्राप्त नही होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नही है की सूचना अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है। कृपया अपील खारिज कराने का श्रम करावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने शिकायती पत्र दिनांक 19.09.2022 के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई है किन्तु अपीलार्थी का उक्त शिकायती पत्र कार्यालय में प्राप्त ही नही होने के कारण अपीलार्थी को सूचना दिया जाना संभव नही होने से उपलब्ध नही कराई गई है जिस बाबत लोक सूचना अधिकारी(अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर) ने अपने पत्रांक 609 दिनांक 14.10.2022 द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज योग्य प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावें तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	